

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-२, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, २१ नवम्बर, २००२
कार्तिक ३०, १९२४ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-१

संख्या २०२३/सत्रह-वि.१-२(क)२२-२००२
लखनऊ नवम्बर, २००२

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २००२ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २० सन् २००२) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश २००२

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २० सन् २००२)

(भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित,)

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, १९५६ का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

१— यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २००२ कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

२- उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, १९५६ में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "मुख्य नगर अधिकारी" "अपर मुख्य नगर अधिकारी" "उप नगर अधिकारी" "सहायक नगर अधिकारी" "नगर प्रमुख" "उप नगर प्रमुख" "सभासद" और सभासदों जहाँ कहीं भी आये हों, शीर्षक, उपशीर्षक और पार्श्वशीर्षक के स्थान पर क्रमशः शब्द "नगर आयुक्त" "अपर नगर आयुक्त" "उप नगर आयुक्त" "सहायक नगर आयुक्त" "महापौर" "उप महापौर" "पार्षद" और "पार्षदों" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २ सन् १९५६ का सामान्य संशोधन

३- मूल अधिनियम की धारा ५ में, खण्ड (घ)के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

धारा ५ का संशोधन

"(घ) इस अधिनियम के अधीन निगम के लिए नियुक्त एक नगर आयुक्त और एक या अधिक अपर नगर आयुक्त नियुक्त करते हैं।"

४- मूल अधिनियम की धारा १६ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

धारा १६ का प्रतिस्थापन

"१६ (१) जहां राज्य सरकार को यह विश्वास करने का कारण हो कि,-

(क) महापौर या उप महापौर की तरफ से अपने कर्तव्यों के निपादन में कोई चूक हुई है;

(ख) महापौर या उप महापौर ने,-

(एक) धारा ११ और २५ में उल्लिखित कोई अनर्हता उपगत कर ली है; या

(दो) धारा ४६३ के अर्थान्तर्गत निगम के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से, किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित, चाहे धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो, जानबूझ कर अर्जित किया है; या

(तीन) जानबूझ कर किसी ऐसे मामले में, जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित हो, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो या किसी मुवक्किल, मालिक या अन्य व्यक्ति की ओर से उसका वद्वत्तिक रूप में हित था; या महापौर या उप-महापौर या पार्षद के रूप में जानबूझ कर किसी ऐसे मामले में, कार्य किया है; या

(चार) निगम के प्रबंध में सौपी गई किसी नजूल भूमि के संबंध में किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में किसी व्यक्ति की ओर से नगर निगम के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में कार्य किया है या उपस्थित हुआ है या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके लिये जिसके विरुद्ध नगर निगम द्वारा या उसकी ओर से आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई हो, कार्य किया है या उपस्थित हुआ है; या

(पांच) निगम के नगरपालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास स्थान का परित्याग कर दिया है; या

(छः) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है; या

(सात) निगम के चालू या पूर्ववर्ती कार्यकाल में महापौर या उप महापौर या किसी समिति के सभापति या पार्षद के रूप में या किसी अन्य हैसियत से, चाहे जो भी हो, कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम के किसी उपबंध या किसी नियम, विनियम या उपविधि का जानबूझ कर उल्लंघन किया है या निगम की निधि या सम्पत्ति को ऐसी हानि या क्षति पहुँचायी है जो उसे

महापौर या उप महापौर बने रहने के अयोग्य बना देती है; या

(आठ) किसी अन्य अवचार का दोषी है चाहे ऐसा अवचार उसने महापौर के रूप में उप-महापौर के रूप में या पार्षद के रूप में किया हो; या

(नौ) निगम के हित के प्रतिकूल कार्य किया है; या

(दस) निगम की किसी बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि निगम का उस बैठक का कार्य संचालन असंभव हो जाय या ऐसा करने के लिय किसी को दुष्प्रेरित किया है; या

(ग्यारह) इस अधिनियम के आधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जानबूझ कर उल्लंघन किया है; या

(बारह) निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है; या

(तेरह) निगम की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य से कम मूल्य पर व्ययन किया है; सिवाय राज्य सरकार के निर्देशों को छोड़कर; या

(चौदह) निगम की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है या किसी अन्य व्यक्ति को अतिक्रमण करने में सहायता की या दुष्प्रेरित किया है;

तो वह उससे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगी कि क्यों ने उसे पद से हटा दिया जाय।

(२) राज्य सरकार, महापौर या उप महापौर द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह आवश्यक समझे, कारणों को अभिलिखित करते हुये महापौर या उप महापौर को उसके पद से हटा सकेगी।

(३) उपधारा (२) के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपेक्ष नहीं किया जायेगा।

(४) उपधारा (२) के अधीन हटाया गया महापौर या उप महापौर, पार्षद भी नहीं रह जायेगा और उपधारा (१) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित किसी आधार पर हटाये जाने की दशा में ऐसे हटाये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक महापौर या उप महापौर के रूप में पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।”

५—मूल अधिनियम की धारा २५ में,—

धारा २५ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

“(घ) वह राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम या निकाय की सेवा में हों अथवा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सेल अथवा अपर या सहायक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सेल अथवा अवैतनिक मजिस्ट्रेट अथवा अवैतनिक मुंसिफ अथवा अवैतनिक असिस्टेंट कलेक्टर हो,”

(ख) उपधारा (४) में, खण्ड (२) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्

:-

(३) निगम की किसी बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि निगम का उस बैठक का कार्य संचालन असंभव हो जाय अथवा ऐसा करने के लिये किसी को उकसाया है; या

(४) निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया है; या

(५) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निगम की किसी सम्पत्ति को कोई हानि या क्षति पहुंचायी है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी हानि या क्षति के लिये दुष्प्रेरित करता है ; या

(६) किसी अपराध के लिये जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया जाय।”

६—मूल अधिनियम की धारा १३२ में :-

धारा १३२ का संशोधन

(क) उपधारा (३) में शब्द “एक लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “पाँच लाख रुपये” और शब्द “पाँच लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “दस लाख रुपये” रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (३) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :-

“(३-क) कोई ऐसी संविदा, जिसमें दो लाख रुपये से अधिक और पाँच लाख रुपये से अनधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, नगर आयुक्त द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि उसे महापौर द्वारा स्वीकृत न कर दिया जाय।”

(ग) उपधारा (४) में शब्द “पाँच लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “दस लाख रुपये” रख दिये जायेंगे ;

(घ) उपधारा (५) में शब्द “पचास हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “एक लाख रुपये” और शब्द “एक लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “दो लाख रुपये” रख दिये जायेंगे;

(ङ.) उपधारा (६) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :-

(७) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (३) या उपधारा (४) या उपधारा (५) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सीमाओं को लागत में वृद्धि या कार्य की अत्यावश्यकता और निगमों की दक्षता को दृष्टि में रखते हुए उपान्तरित कर सकती है।”

७—मूल अधिनियम की धारा १३५ में :-

धारा १३५ का संशोधन

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द “पाँच लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “दस लाख रुपये” रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (१) में —

(एक) शब्द “एक लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “दो लाख रुपये” रख दिये जायेंगे ;

(दो) प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा ;

(ग) उपधारा (१) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात :-

“(१-क) महापौर किसी तखमीने की जो पाँच लाख रुपये से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकता है ;

(घ) उपधारा (२) में शब्द “पाँच लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “दस लाख रुपये” रख दिये जायेंगे।

८—मूल अधिनियम की धारा १३६ में,—

धारा १३६ का संशोधन

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द “पाँच लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “दस लाख रुपये” रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (१) में शब्द “पाँच लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “दस लाख रुपये” रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (२) में खण्ड (क) में, शब्द “दस लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “बीस

लाख रुपये" रख दिये जायेंगे ;

६—मूल अधिनियम की धारा १७७ में,—

धारा १७७ का संशोधन

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

“(ग) भवन, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित और प्रबंधित अथवा सहायित स्कूलों और इंटरमीडिएट कालेजों के रूप में ही प्रयुक्त होते हो ;”

(ख) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

“(ज) भवन स्वामी द्वारा अध्यासित आवासीय भवनों जो किसी ऐसे क्षेत्र में हो, जिसे पाँच वर्ष के भीतर निगम की सीमा में सम्मिलित किया गया हो अथवा उस क्षेत्र में सड़क, पेयजल और मार्ग प्रकाश की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हो, जो भी पहले हो।”

१०—मूल अधिनियम की धारा २०७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी,
अर्थात् :—

धारा २०७ का प्रतिस्थापन

“२०७—नगर आयुक्त समय—समय पर नियमावली में विहित रीति के अनुसार नगर या उसके किसी भाग की क्षेत्रवार किराया दर और निर्धारण सूची तैयार करायेगा।”

निर्धारण सूची का तैयार किया जाना

११—मूल अधिनियम की धारा २०७—क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी,
अर्थात् :—

धारा २०७—ख का बढ़ाया जाना

“२०७—ख (१) वार्षिक किराये के मूल्य के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी ऐसे दिनांक तक जैसा विहित किया जाय एक सम्पत्ति विवरणी प्रस्तुत करेगा।”

(२) कोई व्यक्ति जो बिना उचित कारणों के उपधारा (१) में निर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहा हो, वह ऐसी शास्ति के जैसी विहित की जाय, भुगतान करने का दायी होगा।

(३) उपधारा (२) में निर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन नगर आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

कर निर्धारण के लिये भवनों या भूमियों का विवरण प्रस्तुत किया जाना

१२—मूल अधिनियम की धारा २०८ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी,
अर्थात् :—

धारा २०८ का प्रतिस्थापन

“२०८—नगर आयुक्त धारा २०७ के अधीन तैयार की गई सूची का प्रकाशन नियमावली में विहित रीति के अनुसार करेगा।”

सूची का प्रकाशन

१३—मूल अधिनियम की धारा २०६ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

धारा २०६ का प्रतिस्थापन

“२०६—नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी नियमावली में विहित रीति के अनुसार आपत्तियों का निपटारा करेगा।”

प्रस्तावित दरों तथा सूची पर आपत्तियां

१४—मूल अधिनियम की धारा २१० में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी

जायेगी, अर्थात :-

धारा २१० का संशोधन

“(१) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी यथास्थिति, नगर या उसके किसी भाग की क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणितकृत करेगा।”

१५—मूल अधिनियम की धारा २१३ में, उपधारा (१) में शब्द “कार्यकारिणी समिति अथवा एतदर्थ नियुक्त की गयी उसकी कोई उपसमिति” के स्थान पर शब्द “नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी” रख दिये जायेंगे।

धारा २१३ का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा २१४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी अर्थात :-

धारा २१४ का प्रतिस्थापन

“२१४—(१) जब किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण अथवा उसमें कोई विस्तार उसके स्वामी या अध्यासी द्वारा किया जाय और आच्छादित क्षेत्रफल २५ प्रतिशत से अधिक हो जाय, तो वह समापन के दिनांक के अथवा अध्यासन के दिनांक के, जो भी पहले हो, साठ दिन के भीतर नगर आयुक्त को उसकी सूचना विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से देगा।

संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता

(२) ऐसे स्वामी या अध्यासी, जो बिना उचित कारण के उपधारा (१) में निर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत नहीं करते हैं, ऐसे जुर्माने से, जो निर्धारित सामान्य कर के दोगुना के बराबर की धनराशि या ५०० रु० प्रतिदिन जो भी कम हो, तक हो सकता है, दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

(३) नगर आयुक्त उपधारा (२) के अधीन प्रस्तावित शास्ति का प्रशमन कर सकेगा।”

विष्णुकान्त शास्त्री,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
ए०बी० शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

No.2032 (2)/XVII-V-I-2(KA)-22-2002
Dated Lucknow, November 21,2002

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Nigam (Sanshodhan) Adhyadesh, 2002(Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 20 of 2002 promulgated by the Governor.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2002
(U.P. ORDINANCE NO. 20 OF 2002)
(Promulgated by the Governor in the Fifty-third Year of the
Republic of India)

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :-

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2002

Short title

2. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, hereinafter referred to as the principal Act, for the words "Mukhya Nagar Adhikari", "Apar Mukhya Nagar Adhikari", "Upa Nagar Adhikari", "Sahayak Nagar Adhikari", "Nagar Pramukh", "Upa Nagar Pramukh", "Sabhasad" and "Sabhasads" wherever occurring, including headings, Sub- headings and marginal headings, the words "Municipal Commissioner", "Additional Municipal Commissioner", "Deputy Municipal Commissioner", "Assistant Municipal Commissioner", "Mayor", "Deputy Mayor", "Corporator" and "Corporators" shall respectively be substituted.

General amendment in U.P. Act No. 2 of 1959

3. In section 5 of the principal Act, for clause (d) the following clause shall be substituted, namely :-

Amendment of section 5

"(d) a Municipal Commissioner and one or more Additional Municipal Commissioner appointed for the Corporation under this Act."

4. For section 16 of the principal Act, the following section shall be substituted namely :-

Substitution of section 16

Removal of Mayor and Deputy Mayor -

"16 (1) Where the State Government has, reason to believe that -

(a) there has been a failure on the part of the Mayor or the Deputy Mayor in performing his duties ;

(b) the Mayor or Deputy Mayor has -

(i) incurred any of the disqualifications mentioned in section 11 of 25; or

(ii) within the meaning of section 463 knowingly acquired, directly or indirectly or by partner, any share or interest, whether pecuniary or of any other nature, in any contract or employment with by or on behalf of the Corporation; or

(iii) knowingly acted as a Mayor or Deputy Mayor or as a Corporator in matter, in which he has, directly or indirectly or by a partner; any share or interest whether pecuniary or of any other nature, or in which he was professionally interested or on behalf of a client, principal or other person; or

(iv) acted or appeared as a legal practitioner in any suit or other legal proceeding on behalf of any person against the Corporation or against the State Government in respect of nazul land entrusted to the management of the Corporation, or acted or appeared for or on behalf of any person against whom a criminal proceeding has been instituted by or on behalf of the Corporation or,

(v) abandoned his ordinary place of residence in the Municipal area of the Corporation; or

(vi) been guilty of misconduct in the discharge of his duties; or

(vii) during the current or the preceding term of the Corporation while acting as Mayor or Deputy Mayor or as Chairperson of a Committee or as Coporator or in any other capacity whatsoever, so flagrantly abused his position, or so wilfully contravened any of the provisions of this Act or any rules, regulation or by-laws made there-under or caused such loss or damage to fund of property of the Corporation as to render him unfit to continue to be Mayor or Deputy Mayor; or

(viii) been guilty of any other misconduct whether committed as Mayor or as Deputy Mayor; or as a corporator;

(ix) acted against the interest of the Corporation; or

(x) created on obstacle in a meeting of the Corporation in such manner that it becomes impossible for the Corporation to conduct its business in the meeting or instigated some one to do so; or

(xi) wilfully contravened any order or direction of the State Government given under this Act; or

(xii) misbehaved with the officers or employees of the Corporation; or

(xiii) disposed of any property belonging to the corporation at a price less then its market value except the directions of state Government; or

(xiv) encroached or assisted or instigated any other person to encroach upon the land, building or any other immovable property of the corporation.

it may call upon him to show cause with in the time to be specified in the notice why he should not be removed from office.

(2) After considering any explanation that may be offered by the Mayor or Deputy Mayor and making such enquiry as it may consider

necessary, the State Government may for the reasons to be recorded in writing, remove the Mayor or the Deputy Mayor from his office.

(3) An order passed by the State Government under sub-section (2) shall be final and shall not be questioned in any court of law.

(4) The Mayor or the Deputy Mayor removed under sub-section (2) shall also cease to be a Corporator and in case of removal on any of the grounds mentioned in clauses (a) and (b) of sub-section (1) shall not be eligible for re-election as Mayor or Deputy Mayor for a period of five years from the date of such removal,”

5. In section 25 of the principal Act,-

Amendment of section 25

(a) in sub-section (1), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

“(d) is in the service of a State Government or the Central Government or any local authority or any undertaking or body owned or controlled by a State Government or the Central Government or is a District Government Counsel or an Additional or Assistant District Government Counsel or an Honorary Magistrate or an Honorary Munsif or an Honorary Assistant Collector”

(b) in sub-section (4), after clause (ii) the following clauses shall be inserted, namely :-

“(iii) has created an obstacle in a meeting of the Corporation in such manner that it becomes impossible for the corporation to conduct its business in the meeting or instigated some one to do so; or

(iv) has misbehaved with any officer or employee of the Corporation; or

(v) has directly or indirectly caused any loss or damage to any property of the Corporation or abets any other person to cause such loss or damage; or

(vi) is convicted for an offence which, in the opinion of the State Government involves moral turpitude;”

6. In section 132 of the principal Act,-

Amendment of section 132

(a) in sub-section (3), for the words “one lakh rupees” the words “five lakh rupees” and for the words “five lakh rupees” the words “ten lakh rupees” shall be substituted;

(b) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely :-

“(3-A) No contract involving an expenditure exceeding two lakh rupees and not exceeding five lakh rupees shall be made by the Municipal Commissioner unless it has been sanctioned by the Mayor.”;

(c) in sub-section (4), for the words “five lakh rupees”, the words “ten lakh rupees” shall be substituted;

(d) in sub-section (5), for the words “fifty thousand rupees” the words “one lakh rupees” and for the words “one lakh rupees”, the words, “two lakh rupees” shall be substituted;

(e) after sub-section (6) the following sub-section shall be inserted namely :-

“(7) The State Government may, by notification in the Gazette, modify the monetary limits specified in sub-section (3) or sub-section (4) or sub-section (5) keeping in view the rise in costs or the exigencies of work and efficiency of Corporations.”

7. In section 135 of the principal Act,-

Amendment of section 135

(a) In the marginal heading for words “ five lakh rupees” the words “ten lakh rupees” shall be substituted.

(b) In sub-section (1),-

(i) for the words “one lakh rupees “ the words “two lakh rupees “ shall be substituted.

(ii) the proviso shall be omitted.

(c) after sub-section (1) the following sub-section shall be inserted, namely :-

(1-A) the Mayor may sanction any estimate not exceeding five lakh rupees.

(d) in sub-section (2) for the words “ five lakh rupees” the words “ten lakh rupees “ shall be substituted.

8. In section 136 of the principal Act,-

Amendment of section 136

(a) In the marginal heading for the words “five lakh rupees “ the words “ten lakh rupees” shall be substituted;

(b) in sub-section (1), for the words “five lakh rupees “ the words “ten lakh rupees” shall be substituted.

(c) in sub-section (2), in clause (a) for the words “ten lakh rupees” the words “twenty lakh rupees” shall be substituted.

9. In section 177 of the principal Act,-

Amendment of section 177

(a) for clause (c) the following clause shall be substituted, namely :-

“(c) building solely used as schools and Intermediate colleges run and managed or aided by the State Government;”

(b) for clause (h) the following clause shall be substituted, namely :-

“(h) residential buildings occupied by the owner of building, which is located in such area which has been included in the limit of Corporation within five years or the facilities of roads, drinking water and street light provided in the area, which ever is earlier.

10. For section 207 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :-

Substitution of section 207

“207. The Municipal Commissioner shall cause areawise rental rates and an assessment list in the city or part thereof to be prepared from time to time, in accordance with the manner prescribed in the Rules,”

Preparation of assessment list

11. After section 207-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :-

Insection of new section 207-B

“207-B, (1) For the purposes of Annual rental value, the owner or the

occupier of every house or land shall submit a property return up to a date as may be prescribed . Submission of the details of houses or lands for assessment of tax

(2) Any person failing to submit the return referred to in sub-section (1) without proper reasons shall be liable to pay penalty as may be prescribed.

(3) The penalty referred to in sub-section (2) may be compounded by the Municipal Commissioner.”

12. For section 208 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :-

Substitution of section 208

“208. The Municipal Commissioner shall publish the list prepared under section 207 in accordance with the manner prescribed in the rules.”

Publication of list

13. For section 209 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :-

Substitution of section 209

“209. The Municipal Commissioner or an officer authorised by him in this behalf shall dispose off the objections in accordance with the manners prescribed in the rules.”

Objections on proposed rates and list

14. In section 210 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :-

Amendment of section 210

“(1) The Municipal Commissioner or an officer authorised by him in this behalf, shall authenticate by his signature the areawise rental rates and the assessment list of the city or any part thereof, as the case may be.”

15. In section 213 of the principal Act, in sub-section (1) for the words “The Executive Committee or a sub-committee thereof appointed in this behalf, “ the words “The Municipal Commissioner or an officer authorised by him in this behalf “ shall be substituted.

Amendment of section 213

16. For section 214 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :-

Substitution of section 214

“214. (1) When any building is constructed or reconstructed or any addition is made there to by an owner or occupier and the covered area exceeds by more than 25 per cent then it shall be compulsory for him to submit its information to the Municipal Commissioner with in sixty days of the date of completion or date of occupation whichever is earlier, in the prescribed form.”

Obligation to supply informations for purpose of amendment

(2) The owner or occupiers, who do not submit information referred to in sub-section (1) without proper reasons, shall be liable to be punished with fine which may extent to an amount equal to double of the assessed general tax or Rs. 500.00 per day of the delay whichever is less.

(3) The Municipal Commissioner may compound the proposed penalty under sub-section (2)."

VISHNUKANT SHASTRI,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
A.B. SHUKLA,
Pramukh Sachiv